कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा

पत्रांकः- मु0चि0अ0/ एन0टी0सी0पी0/ कोटपा-2003/ 1253-1 दिनांकः- 23/3/2020

सेवा मे,

1. पुलिस अधीक्षक, बांदा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
3. अपर जिलाधिकारी, बांदा।
4. नगर मजिस्ट्रेट, बांदा।
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बांदा।
6. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बांदा।
7. जिला विकास अधिकारी, बांदा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा।
9. उपजिलाधिकारी, बांदा।
10. तहसीलदार, बांदा।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बांदा।
12. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय (पु0/म0), बांदा।
13. समस्त अधीक्षक/ प्र0चि0अ0, सामु0स्वा0के0/ प्रा0स्वा0के0, बांदा।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा।
15. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा।
16. जिला कृषि अधिकारी, बांदा।
17. उप कृषि निदेशक, बांदा।
18. जिला सूचना अधिकारी, बांदा।
19. जिला पूर्ति अधिकारी, बांदा।
20. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बांदा।
21. जिला खाद्य एव विपरण अधिकारी, बांदा।
22. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा।
23. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा।
24. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बांदा।
25. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बांदा।
26. अधिशाषी अभियंता, जल संस्थान, बांदा।
27. अधिशाषी अभियंता, जल निगम 16वी, बांदा।
28. अधिशाषी अभियंता, राष्ट्रीय नलकूप, बांदा।
29. अधिशाषी अभियंता, केन कैनाल, बांदा।
30. अधिशाषी अभियंता, सि0 प्र0 – III, बांदा।
31. अधिशाषी अभियंता, विद्युत , बांदा।
32. अधिशाषी अभियंता, ज0नि0या0शा0, बांदा।
33. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम, बांदा।
34. रेलवे अधीक्षक, बांदा।
35. औषधि निरीक्षक, बांदा।

विषयः- जनपद मे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु समस्त सरकारी एव निजी प्रतिष्ठानो मे धूम्रपान और अन्य तम्बाकू उत्पादो के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के सम्बंध मे।

महोदय,

महानिदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक – राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019-20 / 8366 – 69 दिनांक 18.03.2020 के क्रम मे अवगत कराया जाता है कि जैसा कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश- 786 / तीन- 18- 06 (9) 18 दिनांक-02 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानो के मुख्यालयो एव स्थानीय कार्यालयो मे धूम्रपान और अन्य तम्बाकू उत्पादो के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा चुका है तथा पूर्व मे भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानो मे बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, खैनी, चैनी इत्यादि के उपयोग को पूर्णतया प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये जा चुके है।

उक्त के क्रम मे जैसा कि आप अवगत है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एव बचाव हेतु दिशा-निर्देश एव हेल्पलाइन न0 – 18001805145 जारी किया गया है। प्रदेश मे लगभग 29.4 % लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रुपो मे सेवन कर इधर-उधर

Scanned by CamScanner

थूकते है , जो कि कोरोना वायरस के फैलने मे सहायक हो सकता है तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियो की रोकथाम मे भी तम्बाकू एव पान-मशाला का सेवन बडी बाधा है।

साथ ही अवगत कराना है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद मे **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एव वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003** जो कोटपा – 2003 के नाम से प्रचलित है, के प्रभावी क्रियांवयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा जनपद के समस्त सरकारी कार्यालयो मे जुर्माना एव चालान बुक उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा उपरोक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वालो पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अनुरोध भी किया जा चुका है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण जैसी महामारी स्थिति को देखते हुए अपने अधीनस्थ आने वाले समस्त सरकारी एव निजी प्रतिष्ठान/ कार्यालय/ अस्पताल/ स्कूल/ कालेज एव अन्य सार्वजनिक स्थलो मे **कोटपा अधिनियम-2003** का अनुपालन कराना सुनिश्चित करते हुए बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, खैनी, चैनी इत्यादि का सेवन कर इधर-उधर थूकने वालो पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए , उक्त कार्यवाही की सूचना पत्र के साथ संलग्न रिपोर्टिंग फार्मेट पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक;- रिपोर्टिंग फार्मेट

26/03/2020

मुख्य चिकित्साधिकारी
बांदा

पत्रांक:- मु0चि0अ0/ एन0टी0सी0पी0/ कोटपा-2003/ 1253-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बांदा।
4. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, बांदा।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बांदा

Scanned by CamScanner

Annexure:

Monthly reporting format for COTPA violations/action taken

Name and address of the Department or organisation...

Total No. of Challans and Fines Collected

Sr. No	Section 4			Section 6 (a)			Section 6(b)			Section 5	Section 7	Cumulative fine amount collected (Rs.)
	No. of challan done	No. of cases sent to court	Amount of fine collected (Rs.)	No. of challan done	No. of cases sent to court	Amount of fine collected (Rs.)	No. of challan done	No. of cases sent to court	Amount of fine collected (Rs.)	No. of cases sent to court	No. of cases sent to court	
1.												
2.												
3.												

Scanned by CamScanner